72
23/5/18

2018/00177

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956. की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

सेड़वा

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम धोरी बीसासर की जमाबन्दी संवत 2071-74 खाता संख्या 53,54 में -

मेरा नाम हादी वल्द मौजी मेरा वास्तविक ग्राम अब्दुलक है मेरी कागजात में राशनकार्ड पारिचय पत्र आधारकार्ड में अब्दुलक वल्द मांझी है मेरा नाम हादी वल्द मांझी के स्थान पर अब्दुलक वल्द मांझी किया जावे

मैं अलीम पुत्र माजी जाति मुसलमान निवासी धीवासर 45 वर्ष शपथ पूर्वक कथन है कि अब्दुल हक को मैं लंबे समय से जानता हूँ इसका असली नाम हादी है लेकिन इसके आधारकार्ड कई राशन कार्ड में अब्दुलक है वह दूसरे है इसी नाम से स्थान पहचाने जाते है अतः इनका वास्तविक नाम अब्दुलक दर्ज करने की सिफारीश करता हूँ।

दिनांक :

नवाब अली
सरपंच
ग्राम पंचायत बीसासर
पंचायत समिति-सेड़वा

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

ग्राम प्रार्थी अब्दुल हक का पूर्व मे (जमांनदा) मे हादी नाम दर्ज है एवं समस्त दाखिजात मे अब्दुल हक नाम है जो सही है अतः इसे शुद्ध करने हि अनुशंषा कि जाती है।

पट्वारी
पट बीलाल्पा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

पटवारी व भू-अ निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व भाई के बयान एवं सलग्न साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम हादी पुत्र मौंसी के स्थान पर "अब्दुल हक पुत्र मांसी" दुरस्त करने की अनुशंषा की जाती है।

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

आदेश

तहसीलदार सेड़वा, JR सारला, पटवारी हल्का बीसासर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम "हादी पुत्र मौंसी" के स्थान पर शुद्ध नाम "अब्दुल हक पुत्र मौंसा" दुरस्त कर करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन